न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 147/2022 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
देवीलाल पुत्र वीजाराम जाति कुम्हार, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 03.02.2023

संक्षेप मे वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 4.8967 हैक्टेयर मौजा हड़वा, तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को अपने पिता वीजाराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान वादी व सांगाराम के नाम से म्यूटेशन पारित किया गया। उक्त म्यूटेशन में वादी देवीलाल का घरेलू बोलचाल का नाम देवा अंकित हो गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम देवीलाल पुत्र वीजाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम देवीलाल पुत्र वीजाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने हेतुं वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में देवाराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र वीजाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों की ताइद करते हुए वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र वीजाराम किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम देवीलाल पुत्र वीजाराम होने के समर्थन में 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम देवाराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र वीजाराम होना घोषित करते हुए तदंनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड में वादी का एक नाम देवाराम पुत्र बीजाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम देवीलाल पुत्र वीजाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र व अन्य शपथ पत्र से भी वादी का नाम देवाराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र वीजाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र वीजाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Jodha
Date: 2023.02.22 12:47:13 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हड़वा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 176 रकबा 4.8967 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम देवाराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र वीजाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.22 12:47:13 IST
Reason: SelfAttested